

पत्रा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 52/2025

1. निमोव कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वाद

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

प्रतिवादी


डिक्री

दिनांक 14/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के सामक्ष नकील वादी श्री अरविन्द नेण व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 8 एस.बी.एन के खाता सं० 139/122, चकनं० 8 एस.बी.एन के खाता सं० 140/123, चकनं० 8 एम.के.एस के खाता सं० 141/124, चकनं० 7 एस.बी.एन के खाता सं० 200/29, इसी चक 7 एस.बी.एन के खाता सं० 199/30 में दर्ज वादी की बलिदगत दौलतराम के स्थान पर देवीलाल की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पत्रा डिक्री आज दिनांक 14/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।